संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री राम लाल सिंह मेमोरियल सोसाइटी।
2. संस्था का पूरा पता : 8, बजरंग नगर, पो0 मारस नगर, कानपुर रोड, लखनऊ (उ0 प्र0) 226023।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारतवर्ष
4. परिभाषाएँ : नियमावली में दिये गये नियमों या परिनियमों में यदि कोई अन्य सन्दर्भ न हो तो साधारणतया–

अ. सोसाइटी से तात्पर्य :– "श्री राम लाल सिंह मेमोरियल सोसाइटी" से होगा।

ब. साधारण सभा से तात्पर्य "श्री राम लाल सिंह मेमोरियल सोसाइटी" के संस्थापक सदस्यों, आजीवन सदस्यों तथा साधारण सदस्यों के संयुक्त सदन से होगा।

स. प्रबन्ध समिति (गवर्निंग कौंसिल) प्रबन्ध समिति का तात्पर्य "श्री राम लाल सिंह मेमोरियल सोसाइटी" की प्रबन्ध समिति से होगा।

5. सदस्यता :

अ. **संस्थापक सदस्य** :– सोसाइटी के पंजीकरण के समय सोसायटी के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संस्थापक सदस्य कहलायेंगे।संस्थापक सदस्यों को प्रति वर्ष रु0 101/– चन्दा देय होगा। चन्दा न जमा करने पर उनकी सदस्यता सचिव द्वारा समाप्त की जा सकती है।

ब. **आजीवन सदस्य** :– संस्था को रु0 21,000/– (इक्कीस हजार रुपये) या इतनी धनराशि की सम्पत्ति देने वाले व्यक्ति को सचिव द्वारा आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है। आजीवन सदस्य का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा उसे भविष्य में कोई चन्दा देय नहीं होगा। उन्हें भी संस्था विरोधी कार्य करने पर सचिव द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।

स. **साधारण सदस्य** :– साधारण सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगां। साधारण सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को समिति के निर्धारित प्रपत्र पर संस्था के सचिव को आवेदन करना होगा। उसकी सदस्यता सचिव द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा रु0 101/–(रु0 एक सौ एक मात्र) प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क सचिव को देय होगा। कोई साधारण सदस्य यदि प्रबन्ध समिति का सदस्य चुना जाता है तो उसे प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक सदस्यता दी जायेगी और प्रतिवर्ष निर्धारित चन्दा भी समय से देय होगा। सभी सदस्यों को अप्रैल माह में सचिव के पास चन्दा जमा करना होगा।

6. **साधारण सभा का गठन, बैठकें, अधिकार तथा कर्त्तव्य** :–

अ. संस्थापक सदस्यों, आजीवन सदस्यों तथा साधारण सदस्यों के संयुक्त सदन को समिति की साधारण सभा की संज्ञा दी जायेगी। अर्ह सदस्यों के अतिरिक्त सचिव तथा अध्यक्ष किसी व्यक्ति को आम सभा में उसकी गुणवत्ता के आधार पर भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकते हैं।

सुषमा देवी

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

क्रमशः 2..... पर

ब. पूरे वर्ष में कम से कम एक बार साधारण सभा की बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक की सूचना व एजेन्डा डाक द्वारा 10 (दस) दिन पूर्व या वाहक द्वारा 7 (सात) दिन पूर्व सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। आवश्यकता पडने पर तीन दिन की सूचना पर भी साधारण सभा की विशेष बैठक आहूत की जा सकेगी। इसके लिए अध्यक्ष से सलाह लेना आवश्यक होगा।

स. बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा। कोरम के अभाव में अध्यक्ष तथा सचिव बैठक को स्थगित करके दो घंटे बाद पुनः बुला सकते हैं। स्थगन के बाद ऐसी किसी बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

द. सोसाइटी की साधारण सभा सोसाइटी की सर्वोच्च समिति होगी। सचिव के नेतृत्व में आहूत बैठक द्वारा समिति के नित्य प्रति के प्रबन्ध के लिए नौ सदस्यीय प्रबन्ध समिति (गवर्निंग कौंसिल) का चयन करेगी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष (पाँच वर्ष) होगा।

य. सोसाइटी की साधारण सभा संविधान तथा नियमावली में अन्य कोई संशोधन आवश्यकता पड़ने पर कर सकती है इसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है।

र. साधारण सभा सोसाइटी एवं अन्य संस्थाओं के आय–व्यय के लेखा जोखा को निरीक्षित एवं अनुमोदित करेगी।

7. प्रबन्ध समिति (गवर्निंग कौंसिल) का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

अ. सोसाइटी की साधारण सभा प्रति पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव सचिव के नेतृत्व में करेगी। प्रबन्ध समिति में कुल सात पदाधिकारी होंगे। जिसमें सचिव पद का चुनाव नहीं होगा। संस्थापक होने के नाते इस पद पर आजीवन कार्य करते रहेंगे इनकी मृत्य के उपरांत इनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी/वारिस ही सचिव बनेगा शेष जिन 6 पदों का चुनाव होगा वे निम्न प्रकार होंगे। अन्तिम मतदाता सूची सचिव द्वारा तैयार की जायेगी जो सर्वमान्य होगी। सचिव/प्रबन्धक-।

i. अध्यक्ष – एक (1) ii. उपाध्यक्ष – एक (1) iii. कोषाध्यक्ष – एक (1)
iv. सदस्य – तीन (3)

सचिव द्वारा सदस्यता रजिस्टर में अंकित सदस्य ही प्रबन्ध समिति के गठन के चुनाव में भाग लेने के लिए अर्ह होंगे। संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अथवा प्रमुख संस्थाओ के प्रमुख/विशिष्ट योग्यताधारी विशेषज्ञ प्रबन्ध समिति की बैठकों में आमन्त्रित सदस्य के रूप में सचिव द्वारा बुलाए जा सकते हैं। उन्हे मतविभाजन की दशा में मतदान का अधिकार नही होगा। प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष व सचिव मिलकर संस्थाओं के विकास तथा उचित प्रबन्धन हेतु एक सलाहकार समिति (Advisory Board) का गठन कर सकते हैं जिसमें समाज के संभ्रान्त एवं सुशिक्षित लोग होंगे इनकी संख्या 5 से 7 तक हो सकती है। सलाहकार समिति का कार्य, केवल उचित राय सचिव को देना होगा उसे लागू करना अथवा न करना सचिव के विवेक पर निर्भर करेगा।

स. प्रबन्ध समिति की अपनी कार्यवधि के बीच में होने वाली कोई आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति द्वारा बहुमत के आधार पर साधारण सभा के सदस्यों की रिक्तियों की पूर्ति के उपरान्त की जायेगीं।जिसका कार्यकाल उस प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक ही होगा।

द. सोसाइटी की प्रबन्ध समिति की सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में तीन बैठकें की जानी चाहिए। सचिव द्वारा बैठक की सूचना व एजेन्डा डाक द्वारा 10 (दस) दिन पूर्व या वाहक द्वारा 5 (पाँच) दिन पूर्व सदस्यो को प्रेषित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर तीन दिन की सूचना

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस
मण्डल अजमेर
25/06/24

क्रमशः 3..... पर

पर भी प्रबन्ध समिति की बिशेष बैठक आहूत की जा सकेगी। इसके लिये अध्यक्ष से सलाह लेना आवश्यक होगा।

य. सोसाइटी की प्रत्येक चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था, क्रय–विक्रय, आय–व्यय, बैंकों में सोसाइटी के खातों का नियन्त्रण, सोसाइटी तथा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों पर कार्यकारी नियन्त्रण, समिति की ओर से सचिव द्वारा किया जायेगा। समान उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही अन्य पंजीकृत विधिमान्य सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा संस्थाओं को, उनके पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल–अचल सम्पत्ति का दान–अनुदान दे सकेगी। संस्था हित में कोई भी अविलम्बनीय निर्णय सचिव द्वारा लिया जा सकेगा जो सर्वमान्य होगा।

र. अध्यक्ष एवं सचिव मिलकर समिति की ओर से अविलम्बनीय किन्तु उचित एवं आवश्यक निर्णय ले सकते हैं जिसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के बीच सर्कुलेट करके ले सकते हैं।

ल. प्रबन्ध समिति द्वारा सोसाइटी तथा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं का आय–व्यय तैयार करके प्रतिवर्ष साधारण सभा द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा।

8. विद्यालय / कालेज / महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

अ. सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं के कुशल प्रबन्धन हेतु सोसाइटी की प्रबन्ध समिति विद्यालय / कालेज / महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करेगी जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। जिसमें कुल 12 सदस्य होंगे। इसका विवरण निम्नवत् होगा:–

i. अध्यक्ष (सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का सचिव, अध्यक्ष होगा।)
ii. नामित सदस्य-3 (सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा)
ii. नामित सदस्य-1 (शिक्षा विभाग द्वारा नामित)
iv. मंत्री (विद्यालय की प्रधानाचार्या / प्रधानाचार्य पदेन मंत्री होंगी / होंगे।)
v. सदस्य - 6 (विद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, विद्यालय के छात्रों के दो अभिभावक व दो बाह्य शिक्षाविद्) जिसमें 3 (तीन) सदस्य महिलाएं अवश्य होंगी।

ब. विद्यालय प्रबन्ध समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। बैठक की सूचना विद्यालय प्रबन्ध समिति के मंत्री द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व फोन द्वारा दी जायेगी। बैठक का एजेन्डा मंत्री, अध्यक्ष की सहमति से तैयार करेगा। इस ऐजेन्डे को विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु रखा जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य कोई अन्य एजेन्डा भी विद्यालय के विकास हेतु अध्यक्ष की अनुमति से रख सकते हैं। इन ऐजेन्डो पर भी विद्यालय प्रबन्ध समिति चर्चा कर निर्णय लेगी। सभी अनुमोदित एजेन्डो को विद्यालय प्रबन्ध समिति, सोसाइटी की प्रबन्ध समिति को वित्तीय अनुदान आदि हेतु प्रस्तुत करेगी।विद्यालय प्रबन्ध समिति का कोरम भी सदस्यों का 2 / 3 भाग होगा।

स. विद्यालय प्रबन्ध समिति (समितियों) की संरचना में बदलाव / पुर्नगठन शिक्षा विभाग / सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड / शासन / विश्वविद्यालयों के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा सकेगा और यही अन्तिम स्वरूप होगा।

25062021

क्रमषः 4...... पर